FUTURE IS HERE

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्ड योजना – RPS-03/2016 के समस्त श्रेणियों (120 वर्गमीटर , 162 वर्गमीटर तथा 200 वर्गमीटर) के ऐसे आवंटी, जिनके द्वारा आवंटन पत्र में अकिंत आवंटन धनराशि को देय तिथि 25.07.2016 तक जमा नही कराया गया है , को यह सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण द्वारा इस योजना के समस्त समयविस्तरण प्रकरणों पर विचार करते हुये ब्रोशर की नियम एवं शर्तो के अनुसार आवंटन धनराशि जमा करने हेतु दिये जाने वाले समयविस्तरण की अवधि तक 15 प्रतिशत दण्डात्मक ब्याज (जिसका आंकलन छमाही चकवद्धि ब्याज के आधार पर किया जायेगा) के साथ जमा करने की अन्तिम तिथि 23.08.2016 बढा दी गयी है। उक्त समयविस्तरण अवधि तक आवंटन पत्र में अकिंत बैकों में आवंटन धनराशि ब्याज सहित जमा करा सकते है।

आवासीय भूखण्ड योजना –RPS-03/2016 के आवंटियों को आवंटन धनराशि धनराशि जमा कराने हेतु यह सुविधा अन्तिम होगी। समयविस्तरण अवधि दिनांक 23.08.2016 के उपरान्त आवंटी के पक्ष में निर्गत आवंटन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा , जिसकी सूचना आवंटी को प्रथक से नही दी जायेगी।

आवासीय भूखण्ड योजना –RPS-03/2016 के आवंटियों को आवंटन धनराशि जमा किये जाने के सम्वन्ध में दिये गये समयविस्तरण अवधि में किसी प्रकार का आवंटन के सापेक्ष सर्म्पण आवेदन स्वीकार नही होगा।

25/07/16

उप मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कार्मिशियल काम्पलेक्स, ब्लाक-पी-2 सेक्टर-ओमेगा -1,ग्रेटर नोएडा सिटी, पिन कोड – 201308,,जिला गौतमबुद्व नगर, उ0 प्र0